

नियमावली / Rules Of Association

संस्था का नाम / Society's Name : कौशल किशोर चौधरी समिति
 संस्था का पता / Society's Address : ग्राम मटेहनी मजरा बैबहा, तह0 धौरहरा- लखीमपुर, जिला- खीरी, उत्तर प्रदेश, Kheri, 262701
 संस्था का कार्य क्षेत्र / Society's Work Area : उत्तर प्रदेश
 संपर्क संख्या / Contact Number : 7080863309

संस्था के सदस्यता एवं वर्ग / Organization's membership and class :

सदस्यता का प्रकार / Membership Type	शुल्क / Fee	सदस्य बनाने की प्रक्रिया / Procedure of making Members
आजीवन सदस्य / Life Time Member	1000	जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु निर्धारित शुल्क एक बार में या इतने ही मूल्य की संपत्ति चल या अचल रूप में देगे वे संस्था के आजीवन सदस्य होंगे
सामान्य सदस्य / General Member	100	जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते हैं तथा संस्था के विकास हेतु निर्धारित वार्षिक सदस्यता शुल्क नियमानुसार निस्वार्थ भाव से देते हैं वे संस्था के सामान्य सदस्य होंगे

सदस्यता की समाप्ति / Termination of Membership :

1. मृत्यु हो जाने पर ।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर ।
3. संस्था के विपरीत हानिकारक कार्य करने पर ।
4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित करने पर ।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर ।
6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर ।
7. नैतिक अपराधों में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।

संस्था के अंग / Society's Parts :

1. साधारण सभा / General Body
2. प्रबंधकारिणी समिति/ Management Committee

साधारण सभा / General Body :

गठन / Formation :

बैठके / Meetings :

सूचना अवधि / Notice period :

गणपूर्ति / Quorum :

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि / Special Annual General Meeting Date :

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य / Rights and Duties of the General Body :

साधारण सभा का गठन आजीवन सदस्य / Life Time Member, सामान्य सदस्य / General Member को मिलाकर किया जायेगा।

साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है। असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घंटे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अर्जेंडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा। साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को दी जाएगी।

साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी। साधारण सभा की सामान्य बैठक का वार्षिक अधिवेशन साल एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबंधकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

1-संस्था का प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन करना। 2-संस्था का वार्षिक बजट पास करना। 3-संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पास करना। 4-नियमों में संशोधन परिवर्तन व परिवर्धन करना।

प्रबंधकारिणी समिति / Management Committee :

गठन / Formation :

सूचना अवधि / Notice period :

बैठके / Meetings :

साधारण सभा द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों / सदस्यों को मिलाकर प्रबंधकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष-1, उपाध्यक्ष-1, कोषाध्यक्ष-1, सचिव/प्रबंधक-1, सदस्य-3 होंगे इस प्रकार कुल संख्या मिलाकर 7 होंगी।

प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व सदस्यों को लिखित रूप से दी जाएगी।

प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है। असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घंटे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अर्जेंडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा।

प्रबंधकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य / 1- संस्था की उन्नति हेतु आवश्यक कार्य करना। 2- संस्था का वार्षिक बजट तथा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। 3- दान, अनुदान, चन्दा प्राप्त करना तथा संस्था के विकास में लगाना। 4- उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्यसरकार, केन्द्रसरकार, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0 एवं केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, महिला कल्याण निगम, सूडा, इडा, नाबार्ड, सिडवी, सिपसा, अल्पसंख्यक विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कर्पाट, ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोद्योग बोर्ड, कृषि मंत्रालय विकास विभाग, मध्य निषेध, सांस्कृतिक विभाग, प्रोढ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं बाल विकास कल्याण निदेशालय, देशी विदेशी एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण अनुदान, चन्दा प्राप्त करना तथा संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना।

रिक्त स्थानों की पूर्ति / Fill blank seats :

प्रबंधकारिणी समिति के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थान के रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जाएगी।

कार्यकाल / Tenure :

प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल 5साल का होगा।

प्रबंधकारिणी समिति के सामान्य निकाय द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया/
Election Procedure of Management Committee by

प्रबंधकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा।

General Body :

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य / Rights and Responsibilities of office bearer of Manegerial Body :

अध्यक्ष

1. संस्था के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना। 2. प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना। 3. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना। 4. राजकीय सहायता तथा ऋण, अनुदान, चन्दा प्राप्त करना। 5. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना। 6. समान मत होने पर निर्णायक मत देना। 7. बैठकों के लिए दिनांको का अनुमोदन, परिवर्तन तथा बैठकों को स्थगित करना। 8. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना। 9. समस्त बिल, बाऊचर, ऋणपत्र, मांगपत्र, चैक अनुबन्ध पत्रों तथा अन्य आवश्यक प्रपत्रों में हस्ताक्षर करना। 10. संस्था की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा तथा उस पर नियंत्रण रखना। 11. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति पदोन्नति तथा निष्कासन करना। 12. संस्था की ओर से समस्त अदावाही कार्यवाही का संचालन करना। 13. समिति की स्वीकृति की प्राप्ति पर आवश्यकतानुसार धन व्यय करना।

उपाध्यक्ष

2. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करना और उसके कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

कोषाध्यक्ष

3. 1. आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना। 2. दान, अनुदान, चन्दा प्राप्त करना तथा संस्था के विकास में लगाना। 3. अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना। 4. संस्था हित में पूर्ण सहयोग करना।

सचिव/प्रबन्धक

4. 1. समस्त बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप में देना। 2. बैठकों की कार्यवाही लिपिबद्ध करना। 3. संस्था के समस्त पत्र व्यवहार करना। 4. संस्था के विकास में पूर्ण सहयोग करना।


सदस्य

5. संस्था के विकास में पूर्ण सहयोग करना।

संस्था का कोष / Society's Account Access Details:

पदाधिकारी / Post

1. अध्यक्ष
2. कोषाध्यक्ष



आय के स्रोत / Source of Income

1. Foreign Grants
2. Government Donation
3. Government Loan
4. Maintenance amount
5. Membership Fee
6. Other Sources
7. Remittance
8. Self Money Generation

1. Jitendra
2. Chaudhary
3. श्री रा. चौरा

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया / Society's Rules and Regulations Revision Process :

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा / Changes or additions will be done with the majority vote of 2/3 of General body's members.

संस्था का कोष / Society's Account Details:

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीय बैंक अथवा शिड्यूल्ड बैंक, पोस्ट ऑफिस, या प्राइवेट बैंक में संस्था के नाम से खाता खोल कर जमा किया जाएगा जिसका संचालन अध्यक्ष एवम कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा।

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती से संचालन का उत्तरदायित्व / Responsibility for court operations of the society by or against :

http://uprfsc.gov.in/ferrate/chat/print_byelaws.aspx

संस्था प्रतिलिपि

जिसका संचालन अध्यक्ष
कोषाध्यक्ष
सचिव/प्रबन्धक
द्वारा किया जायेगा।

20/10/18

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का दायित्व अध्यक्ष पर होगा या उसके द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति पर होगा।

संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण(ऑडिट) / Budget Audit :

संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य ऑडिटर द्वारा कराया जायेगा / The Budget of the society will be audited by a qualified auditor.

संस्था के अभिलेख / Society's records :

1. सदस्यता रजिस्टर / Membership Register.
2. कार्यवाही रजिस्टर / Proceedings Register.
 - a) साधारण सभा / General Body.
 - b) कार्यकारी निकाय / Executive Body.
3. स्टॉक रजिस्टर / Stock Register.
4. लेजर बुक / Ledger Book.
5. कैश बुक / Cash Book.
6. सदस्यता शुल्क रसीद बुक / Membership fee receipt book.
7. दान रसीद बुक / Donate receipt book.

विघटन / Dissociation :

संस्था का विघटन तथा समाप्ति की कार्यवाही सोसाइटीज रेजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा १३ व १४ के अंतर्गत की जाएगी / Society dissociation and termination will be according to Societies Registration Act, under Section 13 and 14.


दिनांक / Date :-

हस्ताक्षर / Signature :

1. Jitendra

2. Prakash

3. मीरा चौधरी



सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
डिप्टी रजिस्ट्रार
सोसाइटीज तथा विदेश

25/01/2020